न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या 225 सन् 2023
राज्य बनाम विक्रम लाल

थाना कछवां, जिला मीरजापुर।
मु0अ0सं0 151 सन् 2022

<u>आरोप</u>

मैं बलजोर सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर आप अभियुक्त विक्रम लाल को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूॅ–

1. यह कि दिनांक 16.10.2022 को समय करीब 13.25 बजे वहद्स्थान यादव ढाबा कटका हाईवे वहद्ग्राम कटका थाना कछवां जिला मीरजापुर में संयुक्त टीम द्वारा वाहन/डी0सी0एम0 सं0 यू0पी0 16डी0टी0–3644 को चेक किया गया तो आपके कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब मैकडावल नम्बर (1) 750 एम0एल0 48 पेटियों में कुल 576 बोतल कुल 432 लीटर, मैकडावल नम्बर (1) 375 एम0एल0 60 पेटियों में 1440 बोतल अद्धा कुल 540 लीटर एवं मैकडावल नम्बर (1) 180 एम0एल0 42 पेटियों में 2016 बोतल क्वाटर कुल 363 लीटर कुल मिलाकर 1335 लीटर बरामद हुआ। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैध प्राधिकार के अंग्रेजी शराब मैकडावल नम्बर (1) 750 एम0एल0 48 पेटियों में कुल 576 बोतल कुल 432 लीटर, मैकडावल नम्बर (1) 375 एम0एल0 60 पेटियों में 1440 बोतल अद्धा कुल 540 लीटर एवं मैकडावल नम्बर (1) 180 एम0एल0 42 पेटियों में 2016 बोतल क्वाटर कुल 363 लीटर कुल मिलाकर 1335 लीटर, जिसके उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, आपके कब्जे से बरामद हुआ। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो आबकारी अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से बरामद उपरोक्त अवैध शराब को यह जानते हुए कि वह ऐसी वस्तु है जो पेय के रूप में प्रयोग की जाएगी, को आपके द्वारा अपमिश्रित किया गया, जिससे वह अपायकर बन गया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से बरामद उपरोक्त अवैध शराब अपमिश्रित पाया गया, जिसे आपने यह जानते हुए तैयार किया कि इस शराब का उपयोग विक्रय के उद्देश्य से किया जाएगा। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 273 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
5. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके द्वारा उपरोक्त वाहन/डी0सी0एम0 सं0 यू0पी0 16डी0टी0–3644 का इंजन नम्बर अस्पष्ट करके एवं चेसिस नम्बर परिवर्तित कर प्रतिरूपण करके छल करते हुए उक्त वाहन का कागजात तैयार किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
6. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप के द्वारा उपरोक्त वाहन/डी0सी0एम0 सं0 यू0पी0 16डी0टी0–3644 का इंजन नम्बर अस्पष्ट करके व चेसिस नम्बर परिवर्तित कर उक्त वाहन का कागजात तैयार कर उससे बेईमानीपूर्वक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार

आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने उपरोक्त वाहन/डी0सी0एम0 सं0 यू0पी0 16डी0टी0–3644 का इंजन नम्बर अस्पष्ट करके व कूटरचित चेसिस नम्बर MAT45402288807159 के बाबत उक्त वाहन का कागजात तैयार कराया था। आपका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
8. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने उपरोक्त वाहन/डी0सी0एम0 सं0 यू0पी0 16डी0टी0–3644 का इंजन नम्बर अस्पष्ट करके व कूटरचित चेसिस नम्बर MAT45402288807159 के बाबत उक्त वाहन का कागजात छल के प्रयोजन से तैयार कराया था। आपका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
9. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने यह जानते हुए कि उपरोक्त वाहन/डी0सी0एम0 सं0 यू0पी0 16डी0टी0–3644 का इंजन नम्बर अस्पष्ट करके व कूटरचित चेसिस नम्बर MAT45402288807159 के बाबत उक्त वाहन का कागजात कूटरचना करके प्राप्त किया गया है, उसे आपके द्वारा बेईमानी व कपटपूर्वक उपयोग में लाया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 471 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
10. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से उपरोक्त वाहन/डी0सी0एम0 सं0 यू0पी0 16डी0टी0–3644 की बरामदगी हुई, जिसे आप जानते थे कि उक्त वाहन चोरी का है। इस प्रकार आप अभ्यासतः चोरी व व्यवसाय करने का कार्य करते हैं। आपका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 413 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूॅ कि उपरोक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–06.04.2024

(बलजोर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मॉग किया।

दिनांक–06.04.2024

(बलजोर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या 225 सन् 2023
राज्य बनाम विक्रम लाल

थाना कछवां, जिला मीरजापुर।
मु0अ0सं0 151 सन् 2022

दिनॉक–06.04.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त विक्रम लाल जिला कारागार से उपस्थित।

मैने अभियुक्त एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को आरोप सृजित किए जाने के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त विक्रम लाल के विरूद्ध धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273, 419, 420, 467, 468, 471, 413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त विक्रम लाल के विरूद्ध धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273, 419, 420, 467, 468, 471, 413 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

अभियोजन साक्षी/प्राथमिकीकर्ता जरिए समन तलब हों। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 20.04.2024 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।